<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज बरेली।</u>

उपस्थित: अरूण गौतम (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

JO Code-3520

फौजदारी वाद संख्याः—129 / 2024

CNR No.UPBR30000486-2024

उ0प्र0 राज्य.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

चन्द्रपाल पुत्र बाबूराम, निवासी कस्बा शेरगढ़, थाना शेरगढ, जिला बरेली।

.....अभियुक्त।

मु0अ0सं0—349 / 2023
अंतर्गत धारा—498ए,323,504 भा0दं0सं0
व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0
थाना—नवाबगंज, जिला—बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. थाना—नवाबगंज, जिला बरेली की पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्द्रपाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या—349 / 2023, अतर्गत धारा— 498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी चन्द्रकली द्वारा थाने पर इस आशय की टाइपशुदा तहरीर दी गयी कि उसका विवाह चन्द्रपाल के साथ दिनांक 05.05.2022 को हुई थी जिसमें उसके माता पिता ने हैसियत के मुताबिक छः लाख रूपये खर्च किये थे, लेकिन विपक्षीगण उसके ससुरालीजन उक्त दान दहेज से खुश नहीं थे और शादी के बाद से ही एक लाख रूपये नकद की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर मारपीटकर दिनांक 22.06. 2022 को घर से निकाल दिया और बिना मांग पूरी किये बिना रखने को तैयार नहीं हैं।
3. वादिनी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 349 / 2023, धारा 498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत कर बाद तमामी विवेचना व विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त चन्द्रपाल के विरूद्ध आरोप—पत्र अंतर्गत धारा—498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0, विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा विधिवत् अपनी जमानत करायी गयी।
4. अभियुक्त न्यायालय हाजिर आया। अभियुक्त को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान की गई। तदुपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0, के अपराध के तहत आरोप विरचित किये गये, जो उसे पढ़कर सुनाये तथा समझाये गये। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की याचना की गई।
5. अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0—1 वादिनी चन्द्रकली व पी0डब्लू0 2 छविराम को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नही कराया गया

है। तदोपरान्त अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–294 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया, जिसपर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये। अतः औपचारिक साक्षीगण को साक्ष्य में आहूत किये जाने की आवश्यकता नहीं रही, फलस्वरूप साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया।

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने आरोपों का गलत होना कहा, गवाहान द्वारा दिये गये बयान को सही बताया एवं सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन किया।
7. न्यायालय द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।
8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा घ ाटना की तिथि व समय पर वादिनी के विवाह के उपरांत वादिनी के साथ क्रूरता का व्यवहार कर मारपीट कर अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर मारपीटकर घर से निकाल दिया।
9. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु वादिनी साक्षी पी0डब्लू0–1 चन्द्रकली को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसका विवाह चन्द्रपाल के साथ दिनांक 05.05. 2022 को हुई थी जिसमें उसके माता पिता ने हैसियत के मुताबिक छः लाख रूपये खर्च किये थे, लेकिन विपक्षीगण उसके ससुरालीजन उक्त दान दहेज से खुश नहीं थे और शादी के बाद से ही एक लाख रूपये नकद की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर मारपीटकर दिनांक 22.06.2022 को घर से निकाल दिया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है।
10. अभियोजन की ओर से जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि शादी के समय उसके ससुराल वाले उससे और उसके माता पिता से दहेज में कुछ नहीं मांगा नहीं था, उसकी और उसके पति चन्द्रपाल से कुछ कहा सुनी होती थी, इसके बाद वह मायके चली आयी थी, तहरीर उसने स्वयं टाइप नहीं करायी थी और उसके परिवार वालों ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। उसे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है। चन्द्रपाल, राकेश और राजकुमारी ने उससे दहेज में एक लाख रूपये की मांग नहीं की थी, न ही दहेज के लिए मारपीट, गालौज व धक्का मुक्की की थी। अभियोजन की ओर से जिरह में धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से इनकार किया।
11. पी0डब्लू0–2 छविराम को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन की ओर से उसे पक्षद्रोही घ ोषित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिरह में कथन किया है कि पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था चन्द्रपाल व चन्द्रकली का फैसला हो गया है।
12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू0 1 चन्द्रकली ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परन्तु जिरह में विरोधाभासी कथन किये गये है तथा साक्षी पी0डब्लू0 2 छविराम ने घटना को सिरे से नकार दिया है। प्रस्तुत मामले में प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ हुई घटना को कारित करने का समर्थन नहीं किया, बल्कि इसके संबंध में अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में घटना का समर्थन नहीं किया है। न्यायालय के मत में किसी भी अन्य साक्षीगण को अभियोजन पक्ष की ओर से इसलिए परीक्षित नहीं कराया गया है कि यदि वह उन्हें परीक्षित

कराते तो साक्षीगण अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते। इसलिए मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किये जाने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि तथ्य के साक्षी के द्वारा अभियोजन की कथित घटना को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित न की जाए।

13. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **2017(1) सुप्रीम 129 भगवान जगन्नाथ मार्कड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांत में सुसंगत है "It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt- The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt-"

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचना विश्लेषण के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जिससे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के हकदार है। ऐसी दशा में अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

15. अभियुक्त चन्द्रपाल को फौजदारी वाद सं0–129 सन 2024, मु0अ0सं0–349/2023, थाना–नवाबगंज, जिला बरेली के मामले में धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0, के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उनके व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

16. अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बीस हजार के एक जमानती व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये, जो अपील की अवधि तक यथास्वरूप प्रभावी रहेंगे तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किये जाने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्त के अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की स्थिति में उनके जमानतनामे एवं निजी बंधपत्र नियमानुसार जब्त किये जाने योग्य होंगे।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–15.07.2026

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–15.07.2026